

उत्तराखण्ड शासन  
आवास विभाग  
संख्या-८३। / V-२-५३(आ०) / २०१४  
देहरादून : दिनांक ०६ जून, २०१४  
अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, २०१३ की धारा ४(१) के अधीन उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं सभी विकास क्षेत्रों के लिए श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से निम्नानुसार राज्य प्राधिकरण का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जो उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कहलायेगा:-

१-	मा० आवास मंत्री-	अध्यक्ष
२-	प्रमुख सचिव/ सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन-	उपाध्यक्ष
३-	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी, जो कि राज्य राज्य सरकार के प्रमुख सचिव/ सचिव के स्तर से निम्न न हो-	मुख्य प्रशासक
४-	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी, जो कि जो कि राज्य सरकार के अपर सचिव/ सचिव के स्तर से निम्न न हो-	अपर मुख्य प्रशासक
५-	प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन-	पदेन सदस्य
६-	प्रमुख सचिव/ सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन -	पदेन सदस्य
७-	प्रमुख सचिव/ सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन -	पदेन सदस्य
८-	प्रमुख सचिव/ सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन -	पदेन सदस्य
९-	प्रमुख सचिव/ सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन -	पदेन सदस्य
१०-	प्रमुख सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन -	पदेन सदस्य
११-	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड -	पदेन सदस्य
१२-	वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण -	पदेन सदस्य
१३-	राज्य सरकार द्वारा नामित २ गैरसरकारी सदस्य-	सदस्य

(डी०एस०/गर्वाल)  
सचिव

OS

... २/-

Gram ८८५ रुपये

12.06.2014  
VC

UANVA

## उत्तराखण्ड शासन

## आवास विभाग

संख्या-१५१ / V-2014-90(आ०) / 2011

देहरादून, दिनांक २७ अगस्त, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-५४० / ११-५-८६-२३(१)डी०८०-८५ दिनांक ०२-५-१९८६ जिसके द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, में आंशिक संशोधन करते हुए हरिद्वार विकास प्राधिकरण के स्थान पर हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२- विनियमित क्षेत्र रुड़की के आसपास तहसील रुड़की, भगवानपुर एवं नारसन एवं हरिद्वार-रुड़की के राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण व विकास कार्य को नियोजित किये जाने हेतु इस क्षेत्र के ७५ गावों एवं उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-६२५ / ९-आ०-३-९४-२आ०८०-८९ दिनांक २२-७-१९९४ द्वारा अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, रुड़की को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

३- अतएव उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विकास (संशोधन) अधिनियम २०१३ की धारा ३ के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल पूर्व शासकीय अधिसूचना संख्या-३६९२ / ११-५-८६-२३(१) / डी०८५ दिनांक ०४.६.१९८६ एवं अधिसूचना संख्या-१०८० / ९-आ०-५-९७-२३(१) / डी०८५ दिनांक २१.३.१९९७ के संशोधन में हरिद्वार-रुड़की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र को भी सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

- (१)- रुड़की नगरपालिका की सीमा के भीतर का क्षेत्र।
- (२)- मंगलौर नगरपालिका की सीमा के भीतर का क्षेत्र।
- (३)- ग्राम सभा जौंक, नगर पंचायत स्वर्गश्रम जौंक, पौड़ी की सीमा के भीतर का क्षेत्र।
- (४)- नगर पंचायत, लण्ठौरा की सीमा के भीतर का क्षेत्र।
- (५)- जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की, भगवानपुर, एवं नारसन के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर का क्षेत्र।

१-	इब्राहीमपुर देह	१५-	कान्हापुर मुस्तहकम	२९-	बन्हेड़ा टान्डा
२-	रामपुर	१६-	खन्जरपुर	३०-	नथू खेड़ा
३-	मतलबपुर	१७-	बधेड़ी महावतपुर मुस्तहकम	३१-	माहपुर
४-	सुनेहरा	१८-	बधेड़ी महावतपुर अहतमल	३२-	शिमलोनी
५-	सलेमपुर राजपुताना	१९-	डन्डेरा	३३-	सैदपुर
६-	शफीपुर	२०-	मोहम्मदपुर मोहनपुर	३४-	कुरड़ी
७-	साल्हेपुर शाहपुर	२१-	हसन अलीपुर	३५-	लिब्बर हेड़ी
८-	रहीमपुर	२२-	बलहेड़ी	३६-	मुन्डेट
९-	पाड़ली गूजर	२३-	आशफनगर	३७-	कुलचन्दी
१०-	रुड़की ग्रामीण	२४-	मखियाली दुन्दी	३८-	पनियाला चन्दापुर
११-	शेरपुर	२५-	बिझोली	३९-	सफरपुर
१२-	बरमपुर	२६-	पीरपुरा	४०-	रसूलपुर
१३-	मलूकपुर लतीफपुर	२७-	कमोरा	४१-	पांडली गांडा
१४-	कान्हापुर	२८-	मंगलौर ग्रामीण	४२-	इकबालपुर कमेलपुर

43-	सरकड़ी तोहापुर	73-	भगवानपुर चन्दनपुर	103	मूलदासपुर उर्फ माजरा
44-	सोहलपुर गाडा	74-	जैनपुर झज्जेड़ी	104	बढेड़ी राजपूतान
45-	माधोपुर हजरतपुर	75-	फतेहउल्लाहपुर	105	रहमतपुर अहतमल
46-	नन्हेड़ा अनन्तपुर	76-	थथोला	106	शान्तरशाह
47-	सालियर साल्हेपुर	77-	खेमपुर	107	फिरोजपुर एहतमाली
48-	पुहाना	78-	शिकारपुर	108	भारापुर मुस्तहकम
49-	किशनपुर जमालपुर	79-	हज्जतपुर	109	भौरी मुस्तहकम
50-	रोहालकी दयालपुर	80-	खुण्डी	110	पंचायनपुर
51-	खानपुर	81-	नसिरपुर अफजलपुर	111	बबली कलंजरी
52-	करोन्दी	82-	मुडियाकी	112	मीरपुर सिकन्दरपुर
53-	मजरी	83-	दहियाकी		
54-	भगवानपुर	84-	मंडौली		
55-	शाहपुर	85-	नारसन खुर्द		
56-	मक्खनपुर महमूदपुर	86-	नगला कोयल		
57-	खेलपुर नसरुल्लापुर	87-	नारसन कला		
58-	रायपुर	88-	शेखूपुर		
59-	सिसौना	89-	लाडपुर खुर्द		
60-	गीन मोहम्मदपुर सईदपुर	90-	रसूलपुर निठारी		
61-	सिकन्दरपुर भैसंवाल	91-	मुहम्मदपुर जट		
62-	लकेशरी	92-	कुआहेड़ी		
63-	लाव्वा	93-	सकौती		
64-	छप्पर शेर अफगान	94-	जैतपुर		
65-	लतीफपुर खुब्बनपुर	95-	उल्हेड़ा		
66-	चौल्ली शहाबुद्दीनपुर	96-	उल्हेड़ी		
67-	मंडावर	97-	कमालपुर सैनी बॉस		
68-	बेलड़ा अहतमाल	98-	बिचपड़ी		
69-	बेलड़ी साल्हापुर	99-	बहादरपुर सैनी अहतमल		
70-	रहमतपुर मुस्तहकम	100	बहादरपुर सैनी मुस्तहकम		
71-	भारापुर एहतमाली	101	दौलतपुर		
72-	नगला इमरती	102	जमालपुर		

4- उक्त के अतिरिक्त शासकीय अधिसूचना संख्या-3692 / 11-5-86-23(1) / डीए / 85  
दिनांक 04.6.1986 में ग्राम नीरगढ़ू के स्थान पर ग्राम नीर पट्टी धमादरखूं पढ़ा जाये।

आज्ञा से,

( डी०एस० गर्वाल )  
संचित ।

संख्या-१५१(२) / V / 2014-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, जिला हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-4 में प्रकाशित कराकर उसकी 20 प्रति आवास विभाग में तथा 20 प्रतियां हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

( डा० शैलेश कुमार पंत)  
उप सचिव ।

संख्या-१५१(२) / V / 2014-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1) सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग को उनके पत्र सं०-२१-८-२०१४ के कम में।
- (2) आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल ।
- (3) जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
- (4) उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।
- (5) वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून ।
- (6) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
- (7) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- (8) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

  
( डा० शैलेश कुमार पंत )  
उप सचिव ।

उत्तरांचल शासन,  
आवास विभाग,  
संख्या-३५३३ / व/आ०-२००६<sup>२२२</sup>(आ०)/२००७  
देहरादूनः दिनांक: १५ जन००७ २००७

### अधिसूचना

उत्तरांचल (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, १९७३) अनुकूलन एवं  
उपान्तरण आदेश, २००२ की धारा-४ की उपधारा-३ एवं ३(ज) के अधीन शक्ति का  
प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-९५९/न०वि०-आ०/अभि०-२००१-७९(आ०)/२००१  
दिनांक २०-४-२००१ को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल हरिद्वार विकास प्राधिकरण  
बोर्ड का निम्नवत् गठन करते हैं -

		अध्यक्ष
१-	मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल	पदेन सदस्य
२-	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, उत्तरांचल शासन	पदेन सदस्य
३-	सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
४-	सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन, उत्तरांचल शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
५-	सचिव, सिंचाई, उत्तरांचल शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
६-	सचिव, पेयजल, उत्तरांचल शासन	पदेन सदस्य
७-	उपाध्यक्ष, हरिद्वार-विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	पदेन सदस्य
८-	जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार, उत्तरांचल	पदेन सदस्य
९-	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून	पदेन सदस्य
१०-	अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार	पदेन सदस्य
११-	अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, क्रष्णकेश	पदेन सदस्य
१२-	अध्यक्ष, नगरपंचायत रानीपुर, हरिद्वार	पदेन सदस्य
१३-	अध्यक्ष, नगरपंचायत, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल	पदेन सदस्य
१४-	उत्तरांचल शासन द्वारा नामित तीन गैर सरकारी सदस्य	- गैर सरकारी सदस्य

संहिता

12-01-07

12-1-07

V.C.

(पी०सी० शर्मा)  
प्रमुख सचिव

## 2.6 लोक प्राधिकरण / संगठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग:-

### प्राधिकरण का गठन:-

उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकार अनुभाग -5 की अधिसूचना  
संख्या: 3692 / 11-5-86-23(1) डी०ए० / 85 लखनऊ, दिनांक 4 जून, 1986

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय में सहारनपुर, बिजनौर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, तथा देहरादून जनपद के निम्नलिखित क्षेत्र का सुनियोजित रूप से विकास आवश्यक है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30, 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियम और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या -11 सन 1973) की धारा 3 के आधीन शक्ति का उपयोग करके राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन होने की दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र को हरिद्वार विकास क्षेत्र घोषित करते हैं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण का गठन अधिसूचना संख्या - 540 / 11-5-86-23 (1) डी० ए० / 85 दिनांक 2 मई, 1986 द्वारा किया जा चुका है।

### हरिद्वार विकास क्षेत्र

छावनी क्षेत्र और नौ सेना, स्थल सेना और सेना के किसी प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिग्रहित या पटटे पर ली गयी भूमी को छोड़कर

- 1-हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित क्षेत्र ।
- 2-ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित क्षेत्र ।
- 3-मुनी की रेती नोटिफाइड एरिया के भीतर स्थित क्षेत्र ।
- 4-निम्नलिखित राजस्व ग्रामों की सीमा के भीतर स्थित क्षेत्र।

क०सं०	ग्राम	तहसील तथा जिला
1	पुरशापुर साल्हापुर	हरिद्वार सहारनपुर
2	मुहम्मदपुर अलीदपुर	" "
3	आनेकी हेमतपुर	" "
4	सलीमपुर महमूद	" "
5	बेगमपुर	" "
6	खोड़ली	" "
7	दादुपुर गोविन्दपुर	" "
8	सुलतानपूर माजरी	" "
9	रावली महदूद	" "
10	जमालपुर खुर्द	" "
11	रानीपुर	" "
12	बहादराबाद	" "
13	मनोहरपुर	" "

14	अतमलपुर बौंगला	"	"
15	रुहालकी किशनपुर	"	"
16	अहमदपुर ग्राण्ट	"	"
17	कलंजरा ब्लाक	"	"
18	खिजारपुर कलंजरा(कलंजरा)	"	"
19	अलीपुर इब्राहिमपुर	"	"
20	भगतनपुर अबिदपुर	"	"
21	सराय	"	"
22	सीतापुर मजरा ज्वालापुर	"	"
23	जमालपुर कलॉ	"	"
24	चक जगजीतपुर	"	"
25	जगजीतपुर	"	"
26	देवपुर मुस्तहकम	"	"
27	देवपुर अहतमाली	"	"
28	हादीपुर	"	"
29	सिरसली	"	"
30	अजीतपुर—मुस्तहकम	"	"
31	अजीतपुर अहतमाली	"	"
32	मिस्सरपुर अहतमाली	"	"
33	मिस्सरपुर मुस्तहकम	"	"
34	नूरपुर पंजनहेडी	"	"
35	गाडोवाली	"	"
36	किशनपुर	"	"
37	बहादरपुर जट	"	"
38	मिर्जापुर	"	"
39	जियापोता	"	"
40	कांगड़ी	नजीबाबाद	बिजनौर
41	गाजीवाली	"	"
42	श्यामपुरा नौआबाद	"	"
43	सजनपुर पेली	"	"
44	ग्राम जौक	कोटद्वार	पौड़ी—गढ़वाल
45	ढालवाला नया पुराना	देवप्रयाग	टिहरी—गढ़वाल
46	मुनी की रेती	"	"
47	तपोवन	"	"
48	घुगत्याणी तल्ली	"	"
49	निरगणु	"	"
50	हरीपुर कलां	देहरादून	देहरादून
51	रायवाला	"	"
52	प्रतीत नगर	"	"
53	ठाकुरपुर	"	"
54	वीरपुर खुर्द	"	"
55	खेरी कलां	"	"
56	खेरी खुर्द	"	"
57	श्यामपुर	"	"

58	गढ़ीमय	"	"
59	गुमानीवाला	"	"
60	ऋषिकेश	"	"
61	खड़गमाफ	"	"
62	भट्टोवाल	"	"
63	बीबीवाला	"	"

5— निम्न वन क्षेत्रः—

क्र०सं०	वन क्षेत्र	तहसील	जिला
1	जंगलात (एफ-3)	हरिद्वार	सहारनपुर
2	हिल बाईपास रोड के किनारे से 250 मी० तक मंशा देवी के दोनों मार्गों के बाहरी किनारों से 250 मी० तक बिल्केश्वर कालोनी तथा उनकी सीमा से टिबड़ी तक तथा पुख्ता सड़क के पश्चिम के में 250 मी० तक		
3	जंगलात (एफ-3)	नजीबाबाद	बिजनौर
4	जंगलात (एफ-11)	देहरादून	देहरादून
5	मोतीचूर वन क्षेत्र	"	"
6	सत्यनारायण वन क्षेत्र	"	"
7	बापूग्राम वन क्षेत्र	"	"
8	वीरभद्र वन क्षेत्र	"	"
9	जंगलात (एफ-11)	लैन्स डाउन	गढ़वाल

ह० /  
अखण्ड प्रताप सिंह,  
सचिव

संख्या —540(1) / 11—5—86—23)(1)डी०ए० / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— कुम्भ मेला अधिकारी , हरिद्वार जिला सहारनपुर ।
- 2— जिलाधिकारी , सहारनपुर ।
- 3— जिलाधिकारी , देहरादून ।
- 4— जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ।
- 5— जिलाधिकारी, टेहरी गढ़वाल ।
- 6— जिलाधिकारी, टेहरी गढ़वाल ।
- 7— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक , उ०प्र० लखनऊ ।

8- प्रबन्ध निदेशक , जल निगम , उ०प्र० लखनऊ।

9- प्रमुख अभियन्ता , सार्वजनिक निर्माण विभाग , उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से

ह० /

(कुवंर चन्द शेखर द्विवेदी)  
संयुक्त सचिव,

संख्या -540(11)/11-5-86-23(1)डी०ए०/85 तददिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना को संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणलय ऐशबाग , लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना की असाधारण सरकारी गजट दिनांक 4 जून 1986 के विधायी परिशिष्ठ भाषा -4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने तथा अधिसूचना की 50 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें तथा संबंधित अधिकारियों को सीधे अधिसूचना की पांच-पांच प्रतियां भिजवाने का कष्ट करें ।

आज्ञा से

ह० /

(कुवंर चन्द शेखर द्विवेदी)  
संयुक्त सचिव,

संख्या --540(11)/11-5-86-23(1)डी०ए०/85 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव , वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ।
- 2- सचिव , पर्वतीय विकास विभाग , उ०प्र० शासन, लखनऊ।

आज्ञा से

ह० /

(कुवंर चन्द शेखर द्विवेदी)  
संयुक्त सचिव,